



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 32020/2025

विपुल सैनी उर्फ विशाल उर्फ डैन

आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता: गोपाल प्रजापति, मनोज कुमार मिश्रा

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार मिश्रा और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए श्री एस.के. राय की तर्क सुने और अभिलेखों का अवलोकन किया।

यह जमानत याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत आवेदक **विपुल सैनी उर्फ विशाल @ डैन** की ओर से दायर की गई है, जिसमें उन्हें वादसंख्या 165/2025, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत, पुलिस स्टेशन मंडी, जिला सहारनपुर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी गुप्त इरादे से इस वादमें झूठा फंसाया गया है। **आपराधिक इतिहास के चार मामलों का पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।**

आगे यह निवेदन किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में उल्लिखित किसी गिरोह की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गतिविधियों में न तो सहायता की है और न ही उकसाया है। आवेदक का उपरोक्त वाद के अलावा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 23.04.2025 से जेल में बंद है, वचन देता है कि यदि उसे रिहाई दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है,

लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मामलों के अलावा आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य मामला नहीं बताया है।

सभी तथ्यों, प्रकृति और अभिलेख से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, और वादकी गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

आवेदक विपुल सैनी उर्फ विशाल उर्फ दैन को उपरोक्त वादमें स्वीय बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जो वादके तथ्यों से परिचित हो, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक मुकदमे की शुरुआत, आरोप निर्धारण और धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य से ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से वादकी योग्यता पर टिप्पणी के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

13 जनवरी, 2026

प्रियंका

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)